

# निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक : एफ 4 (निजी) आकाशि/अनु/13/282

दिनांक:- 23/09/2013.

## संशोधन - आदेश


सत्र 2013-14 में दिनांक 15 जुलाई 2013 के पश्चात् निजी महाविद्यालयों को इस विभाग द्वारा जारी अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिन्दु सं० 09 एवं स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिन्दु सं० 10 में वर्णित "एन०एस०एस०/एन०सी०सी०/रोवरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन०एस०एस०, कॉलेज शिक्षा विभाग को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नं० सहित दिनांक 31 जुलाई 2013 तक उपलब्ध करवायेंगे।" में दिनांक 31 जुलाई 2013 के स्थान पर 15 अक्टूबर 2013 पढ़ा जावें।

इस अवधि तक संबंधित निजी महाविद्यालय वांछित सूचना निर्धारित तिथि तक विभाग को आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

  
संयुक्त निदेशक, (नि.स.)  
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि:-

श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

  
संयुक्त निदेशक, (नि.स.)  
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर